सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
(Ministry of Education, Govt. of India)
बहादुर शाहजफर मार्ग नई दिल्ली- 110 002
Bahadur shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Phone : 011-23604329, 011-23604325

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

स्पीडपोस्ट

मई, 2022

मिसिल सं. 8-32/2018 (सी.पी.पी.-1/पीयू)

11 MAY 2022

कुलसचिव
श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय
कल्याणलोक, जावदा, निम्बाहेड
चितौडगढ, राजस्थान-31260

विषय: श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कल्याणलोक, जावदा, निम्बाहेड, चितौडगढ, राजस्थान की स्थिति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयानुसार आपके द्वारा भेजे गये पत्र SKVV/008/UGC/2020/27 दिनांक-09.05.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय कल्याणलोक, जावदा, निम्बाहेड चितौडगढ राजस्थान राज्य विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम द्वारा दिनांक 28.03.2018 को स्थापित/अधिसूचित निजी विश्वविद्यालय है और जहाँ आवश्यक हो, विभिन्न वैधानिक निकायों/परिषदों की अनुमति से अपने मेंन कैंपस में रेगुलर मोड में अध्ययन कर रहे छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 1956 धारा 22 के अंतर्गत निर्दिष्ट डिग्रियां प्रदान करने के लिये अधिकृत है। किन्तु विश्वविद्यालय ये पाठ्यक्रम तभी शुरू कर सकता है जब विश्वविद्यालय के पास आयोग तथा संबधित वैधानिक परिषदों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अकादमिक तथा भौतिक सुविधायें, पुस्तकालय, प्रयोगशालायें, इत्यादि सुविधाये मौजूद हों, इसके अलावा विश्वविद्यालय ने शिक्षक तथा सहायक कर्मचारी आयोग /संबधित वैधानिक परिषदों के मानकों के अनुसार नियुक्त कर लिए हों।

श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय राजस्थान का नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 2(f) के अनुसार स्थापित विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल कर लिया गया है।

भवदीय,

(डॉ.नरेश कुमार शर्मा)
अवर सचिव